# प्रेस नोट दिनांक 14.08.2019 थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

## थाना हरीपर्वत क्षेत्र में हुई हत्या का सफल अनावरण, हत्यारा पति गिरफ्तार।

दिनांक 11/12.08.19 की रात्रि में नाला बुढान सैय्यद घटिया आजम खाँ चौकी क्षेत्र में रजनी नाम की गर्भवती महिला की गला रेतकर नृशंस हत्या की गयी थी, जिसके सम्बंध में मृतका रजनी के पिता के द्वारा थाना हरीपर्वत जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 467/2019 धारा 147/148/149/302 भा.द.वि. बनाम मृतका के पति केशव व 06 लोग अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

इस घटना को गम्भीरता से लेते हुए उक्त अभियोग के सफल अनावरण व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण थाना प्रभारी हरीपर्वत जनपद आगरा द्वारा पुलिस टीम गठित की गयी।

गठित पुलिस टीम को सूचना संकलन एंव मुखविर की सूचना पर मृतका रजनी के हत्या करने वाला अभियुक्त केशव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

विवेचना के दौरान मृतका रजनी के भाई ने केशव को रजनी की हत्या हो जाने के सम्बन्ध में फोन किया तो उसने बताया कि वह तो दिनांक 11.08.2019 की सुबह से ही माल खरीदने के काम से दिल्ली आया है। मुझे जानकारी नही कि कैसे घटना हुई। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि रजनी अभियुक्त केशव की दूसरी पत्नी थी जिससे उसने 27.02.2017 को आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली थी। यह शादी रजनी की जिद के चलते केशव ने की थी क्योंकि रजनी केशव के प्राइवेट स्कूल न्यू जोन्स जेवियर्स स्कूल लोहामंडी में पढाती थी वही दोनो के बीच में प्रेम सम्बन्ध हो गये। इन सम्बन्धों के चलते केशव की पहली पत्नी मनीषा ने रजनी को स्कूल से निकाल दिया, तब से ही केशव रजनी को लेकर नाला बुढान सैय्यद में किराये पर रहने लगा। इसी दौरान रजनी गर्भवती हो गयी और वह अभी 8 माह की गर्भवती थी। 5–6 दिन पहले रजनी ने जब केशव से कहा कि वह केवल बच्चा होने का इन्तजार कर रही है। उसके बात वह यहाँ इस कमरे में नही रहेगी। इस बच्चे को लेकर मैं तुम्हारे साथ पुस्तैनी मकान पर रहूंगी। मुझे तथा मेरे बच्चे को अपना अधिकार व तुम्हारी प्रोपर्टी में अपना हिस्सा चाहिये। इस बात को लेकर बहुत टैंशन में था यदि रजनी ने ऐसा कर दिया तो वह समाज में मुह दिखाने लायक नही रहेगा व दिनांक 11.08.19 को दिल्ली जाने के कहकर गया और जब रजनी नें उसे फोन किया और फोन पर कहा सुनी हुई तो केशव ने अपने मन में यह ठान लिया कि रोज–रोज की इस चिकचिक से छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि रजनी को ही रास्ते से हटा दिया जाये ना वो रहेगी न उसका बच्चा रहेगा और दिल्ली में अपनी बहिन के यहाँ पहुँचकर उसके यहां से यह कहकर निकला कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, रात में लौटकर आ जाऊगां और जी.टी. एक्सप्रेस ट्रेन से वापस रात में आगरा आया और अपने घर में नीचे बने स्कूल व सीट बनाने के गोदाम से छुरा लेकर रजनी के पास नाला बुढान सैय्यद पहुँचा तथा वहाँ पर रजनी के बातचीत करते करते तोलिया से मुह दबाकर गले को छुरी से रेत

दिया तथा जब तक रजनी की सासें नही थम गयी कपडे से मुह को दबाये रहा ताकि वह चिल्ला न सके और कमरे में रखे अलमारी से जेबरात निकालकर इस उद्देश्य से ले गया कि जब सुबह इस घटना का पता चले कि कोई चोरी करने आया था उसी ने रजनी की हत्या कर दी। जिस छुरी से हत्या की गयी वह तथा रजनी के जेबरात अपने घर के पास में सडक के बीच में बने डिवाइडर के बीच में लगे पेड पौधो के बीच में दबा दिया जिससे की बाद में निकाल सके और वहां से ट्रेन पकडकर दिल्ली पहुँच गया, वही जाकर अपना फोन ऑन करके रजनी के मोबाइल पर मिस कॉल की जिससे यह पता चल सके कि वहाँ क्या हो रहा है तथा घटना के दौरान खून में सनी शर्ट को अपनी बहिन के यहाँ ले जाकर धो दिया फिर उसे आगरा आते समय झेलम एक्सप्रेस में पन्नी में बाँधकर छोड दिया। अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है

गिरफ्तार अभियुक्त केशव द्वारा बताया गया कि रजनी द्वारा बच्चा पैदा होने के बाद अभियुक्त के साथ उसके पुस्तैनी मकान पर जाकर रहने तथा उसकी जायदाद में अपना तथा अपने बच्चे का हिस्सा मांगने के बात कहने पर अपनी दूसरी पत्नी मनीषा व समाज में बेइज्जत होने के डर से रजनी की हत्या की गयी।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–**

01. केशव कुमार पुत्र प्रताप सिह निवासी 20/212 सिर कीं मंडी थाना लोहामंडी जनपद आगरा उम्र करीब 42 वर्ष।

- **बरामदगी का विवरण :–**

01. एक अदद छुरी आला कत्ल व मृतका (रजनी) के गहने।

- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–**

01. प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार मान थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. उ0नि0 अमित कुमार शर्मा थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
03. कां0 4012 कौशल किशोर, कां0 707 आशीष तिवारी, कां0 1526 हरिओम थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

**मीडिया सेल आगरा पुलिस।**